OS- 1388/20
पं0- 28.10.20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

मीनाक्षी शर्मा उम्र लगभग 35 साल पत्नी इन्द्रजीत निवासिनी ग्राम–हरथुआ बभनपुर, पोस्ट–हरथुआ बभनपुर, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर

.........................वादिनी

बनाम

मनोज उम्र लगभग 35 साल सुत बनारसी निवासी ग्राम–हरथुआ बभनपुर, पोस्ट–हरथुआ बभनपुर, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर

..............प्रतिवादी

सा0वा0सं0–          /2020
दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी
दायरा तिथि–

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0ख0 कक्ष सं0 15 महोदय सुलतानपुर
खुर्शीद खाँ.......बनाम....... अब्दुल वाहिद खाँ आदि
सा0वा0सं0–          /2020

दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी

महोदय,

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है–

धारा 1– यह कि अर्जी दावा के साथ संलग्न नक्शा नजरी में दिखायी गयी विवादित आराजी महदूदा हरूफ अ,ब,स,द,य,र बरंग सुर्ख जुजो अर्जी दावा वादिनी के मौरूसी मकान नं0 9 की सेहन की भूमि है जिसमें वादिनी जगाना कदीम से निकास पैठार, उठना बैठना, जानवरान बांधना आदि के रूप में इस्तेमाल करती चली आ रही हैं और रास्ते को अपने पूर्वजों के जमाने से इस्तेमाल करने की वजह से प्रेसक्रिवटिव राइट ऑफ वे का हक हासिल है।

धारा 2– यह कि वादिनी के मकान नं0 9 के सेहन के बाद रास्ता खडन्जा मार्ग है जो वादिनी और उसके परिवार के निकलने का एक मात्र रास्ता है उक्त

Meenakshi Sharma

3n/3



रास्ते के बाद जानिब उत्तर खडन्जा मार्ग के बाद प्रतिवादी का मकान नं0 10 व रामपियारे का मकान है प्रतिवादी का सेहन जानिब उत्तर है।

धारा 3— यह कि प्रतिवादी का मकान वादिनी के मकान के उत्तर है प्रतिवादी से विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार कब्जा सम्बन्ध नहीं है प्रतिवादी वादिनी के मकान के सेहन दरवाजे पर एक नींव खोदकर दीवाल खड़ी कर देना चाहते है जिन्हें कोई हक नहीं है।

धारा 4— यह कि वादिनी के परिवार के लोग बसिलसिले रोजगार बाहर रहते है वादिनी अपने बीमार ससुर के साथ घर पर अपने बच्चों के साथ रहती है वादिनी को कमजोर असहाय और ससुर के अति वृद्ध और बीमार होने की वजह से प्रतिवादी की नियत खराब हो गयी है और वह वादिनी के सेहन को घेर कर नक्शा नजरी में दर्शाये गये अनुसार सेहन व रास्ते को दीवाल बनाकर बन्द कर देना चाहते है और वादिनी के सेहन व सेहन में बने बैठका को कब्जा कर लेना चाहते हैं।

धारा 5— यह कि प्रतिवादी दिनांक 12.10.2020 को लेबर मिस्त्री लेकर आये और सेहन में नींव खोदकर सेहन को घेरने और रास्ते को बन्द करना शुरू किया तो गांव वालों की मदाखलत से नींव खोदना छोड़कर चले गये किन्तु वादिनी को धमकी दिये कि पुलिस को हमवार करके पुनः उक्त निर्माण कर रास्ते को बन्द कर देगें और विवादित आराजी पर कब्जा कर लेगें।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0ख0 कक्ष सं0 15 महोदय सुलतानपुर
मीनाक्षी शर्मा......बनाम........ मनोज
मू0वा0सं0— /2020

धारा 6— यह कि यदि प्रतिवादी को उक्त बेजा हरकत से मना न किया गया तो वादिनी का सेहन रास्ता छिक जायेगा। रास्ता बन्द हो जाने से वादिनी का घर से निकलना बन्द हो जायेगा नक्शा नजरी में दर्शाये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वादिनी को घर से निकलने का नही है यदि रास्ता व सेहन छिक जायेगा तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपायी किसी अन्य तरीके से सम्भव नहीं है।

धारा 7— यह कि विनाय मुखासमत दावा हाजा वयोम देने धमकी उपरोक्त दिनांक 12.10.2020 को अन्दर हद अख्तियार समात अदालत हाजा पैदा है।

धारा 8— यह कि मालियत दावा हाजा विवादित जायदाद की बाजारी कीमत के लिहाज से मु0 6,00,000/—रुपये कायम की जाती है। चूंकि दावा हुकुम

Meenakshi Sharma

इम्तिनाई दवामी का है इसलिए अधिकतम कोर्ट फीस मु0 500/—रुपये अदा की जाती है।

## याचना

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है—

अ— डिक्री हुकुम इम्तिनाई दवामी बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया जावे कि वादिनी के सेहन व रास्ता मुन्दर्जे नक्शा नजरी बरंग सुर्ख अक्षर अ,ब,स,द,य,र जुजो दावा में न कोई नींव खोदे, न नवनिर्माण करे और न दीवाल बनाये और न ही वादिनी के रास्ते को बन्द करें न कोई अवरोध उत्पन्न करे न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे रास्ते व सेहन की भूमि को वादिनी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जा में किसी किस्म की बाधा उत्पन्न हो।

ब— खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी से दिलायी जावे।

स— अन्य याचना वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी जो नजदीक तरीन अदालत मिल सकती हो दिलायी जावे।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0ख0 कक्ष सं0 15 महोदय सुलतानपुर
मैनाक्षी शर्मा.......बनाम....... मनोज
सा0वा0स0— /2020

## सराहत जायदाद निजाई

जायदाद निजाई मुन्दर्जे नक्शा नजरी बंरग सुर्ख महदूदा हरूफ अ,ब,स,द,य,र जुजो अर्जी दावा मकान नं0—9 स्थित ग्राम—हरथुआ वभनपुर, पोस्ट—हरथुआ बभनपुर, परगना—अल्देमऊ, तहसील—कादीपुर, जिला—सुलतानपुर

Meenakshi Sharma

वादिनी
मीनाक्षी शर्मा पत्नी इन्द्रजीत
निवासिनी ग्राम—हरथुआ वभनपुर,
पोस्ट—हरथुआ बभनपुर,
परगना—अल्देमऊ, तहसील—कादीपुर,
जिला—सुलतानपुर

द्वारा [signature] 13/10/20
अधिवक्ता

दिनांक :— 13.10.20

मैं वादिनी स्वयं तस्दीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 8 व याचना मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

स्थान तस्दीक : दीवानी परिसर सुलतानपुर
दिनांक :— 13.10.20
Meenakshi Sharma

न्यायालय सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं० 16 सुलतानपुर

मीनाक्षी शर्मा ———————————— वादिनी

बनाम

मनोज ———————————— प्रतिवादी

मू०वा०सं० - /2020

दायरा तिथि -

उत्तर
पश्चिम —— पूरब
दक्षिण

नक्शा नजरी

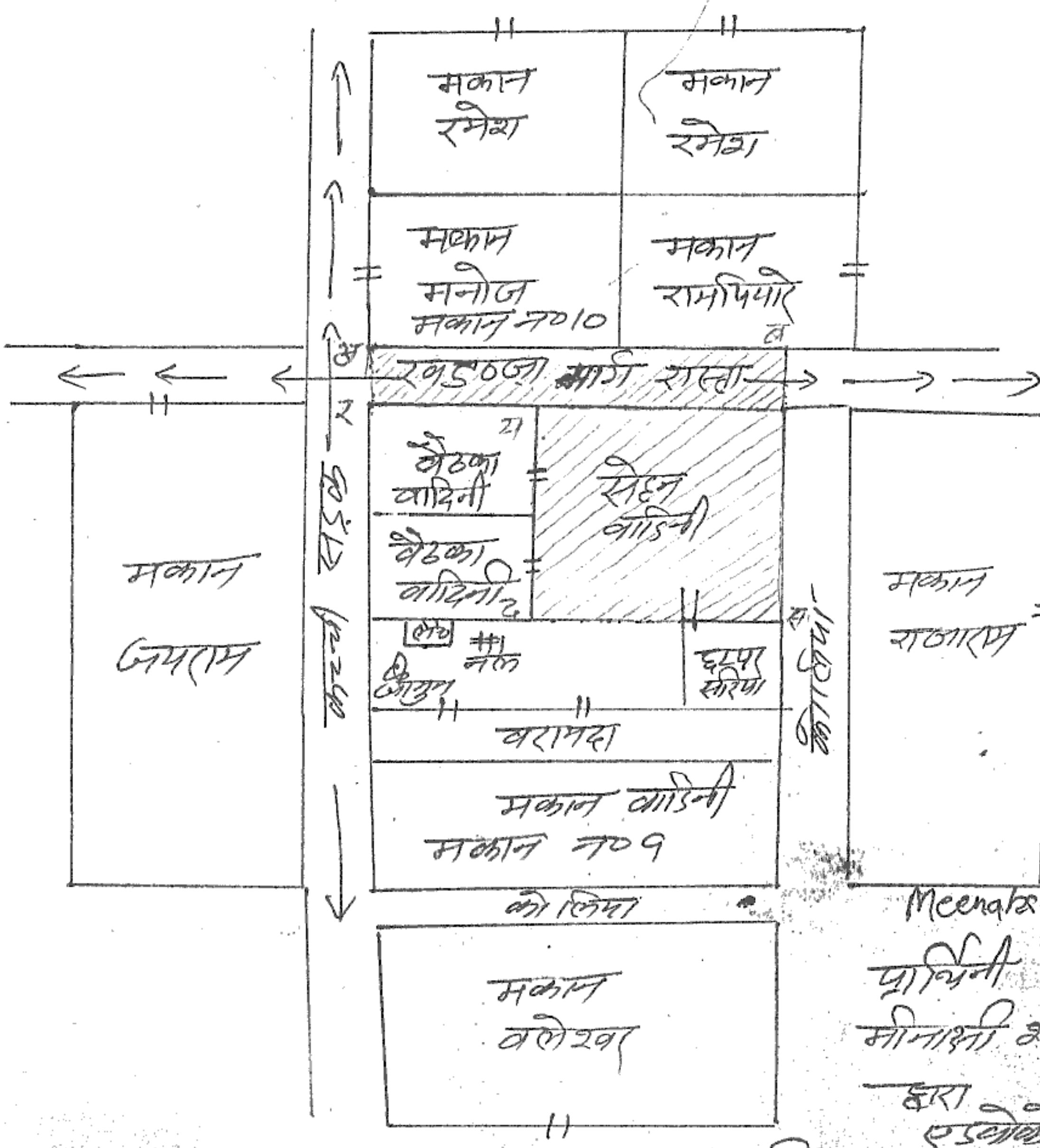


न्यायालय सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं० 16 सुलतानपुर
मीनाक्षी शर्मा बनाम मनोज
मू०वा०सं० - /2020

Meenakshi Sharma

प्रार्थिनी

मीनाक्षी शर्मा - वादिनी

द्वारा

एडवोकेट

दिनांक 13.10.20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं0
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या— 1307/20

बनाम

दिनांक 18/10/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो ।

**आदेश**

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो । वाद दिनांक 13-11-20 वास्ते बयान तहरीरी एंव दिनांक 20/11/20 को वास्ते विरचित वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन

सिविल जज(प्रवर खण्ड)
कक्ष सं0—15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत गया ।

## न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1388/2020
मीनाक्षी शर्मा————बनाम————मनोज।

25/2

दिनांक–13.10.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद पत्र की धारा 01 में विवादित भूमिखण्ड दर्शित अक्षर अ, ब, स, द, य, र नक्शा वाद पत्र को अपने मौरूसी मकान संख्या 09 की सेहन की भूमि होना कहा है जबकि नक्शा वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद भूमि में खण्डजा रास्ता होना दर्शित है और वादी द्वारा खण्डजा रास्ता को अपने सेहन की भूमि होना कहा गया है। अत : ऐसे में मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादी को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

### आदेश

प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 13.11.2020 को पेश हो।

13.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

13.10.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

13.11.20
20.11.20

Meenakshi Sharma
17/10/2020

17-10-20 – 14 गार्ड प्राप्त वास्ते
निगरानी [illegible] आज दिनांक
15-10-2020 [illegible] एवं [illegible]
[illegible] मुकदमा, 16 गार्ड [illegible]
[illegible] द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

आदेश

14 गार्ड प्राप्त [illegible]
पत्रावली में दिनांक – 23-10-20
को [illegible] नियत किया जाता है।

[illegible]
C.M. 15.

28/10
[illegible]
28/10/20
[illegible]

23-10-20 – गुजरात [illegible] वादी उपस्थित।
दि० – 28-10-2020 को बहस
[illegible] 15 [illegible] पेश हो।

[illegible]

## न्यायालय सिविल जज (प्र0 ख0)– कक्ष संख्या–15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या–1388/2020
मीनाक्षी शर्मा––––––––बनाम––––––––––मनोज।

दिनांक–28.10.2020

प्रार्थना पत्र 15क1 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 जा0 दी0 वादिनी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में दावा दायर करते समय कुछ तकनीकि कमी रह गई जिसको संशोधन के माध्यम से दुरूस्त नहीं किया जा सकता है इसलिए न्यायहित में प्रार्थी को उक्त वाद उठाने की अनुमति दिया जाना तथा पुनः वाद दायर करने की अनुमति दिया जाना अति आवश्यक है।

सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र 15क1 स्वीकार किया जाता है। वादी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर करे।

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष संख्या–15,
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1388/2020
मीनाक्षी शर्मा ––––बनाम––––––मनोज ।

252/5

दिनांक– 09.11.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 9.11.20 वादिनी की ओर से मूल वाद सं0– 1388/2020 तारीख फैसला 28.10.20 में दाखिल कागजात को वापस लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

सुना तथा मूल वाद सं0– 1388/2020 तारीख फैसला 28.10.20 की पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त मूल वाद वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र 15क1 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 जा0दी0 के आधार पर दिनांक 28.1020 को अन्तिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है । उक्त मामलें में वादी को पुनः वाद दायर करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दी गयी है । मूल वाद में प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित भी नहीं था । अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र दिनांकित 09.11.20 स्वीकार किया जाता है । वादिनी को उसकी ओर से दाखिल मूल अभिलेख वापस करने की अनुमति दी जाती है । कार्यालय नियमानुसार मूल अभिलेख उसकी छाया प्रति रखते हुए वादी को वापस करे । वाद अनुपालन पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

09.11.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

OS- 1768/20

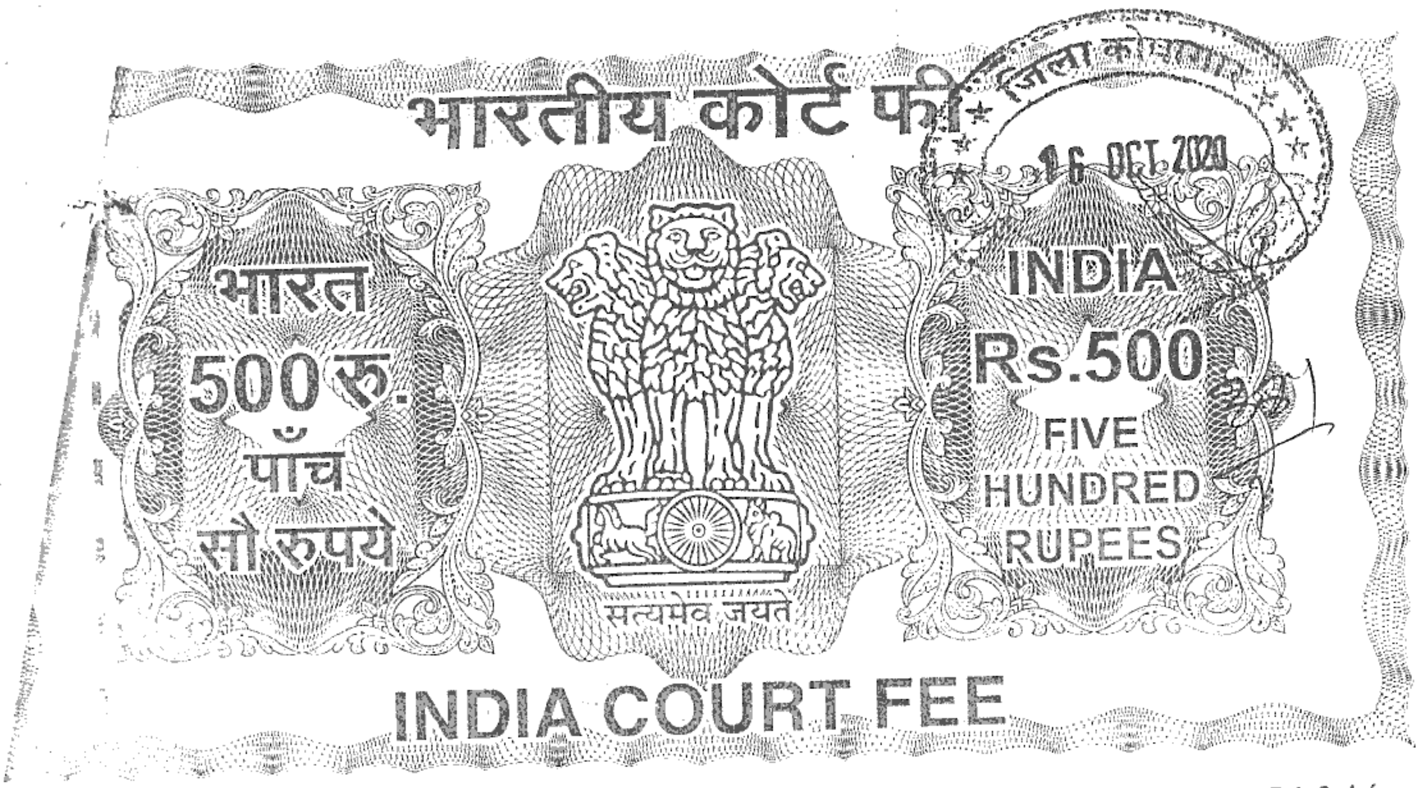


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

551246

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) कोर्ट नं0 15 सुल्तानपुर

मीनाक्षी शर्मा ———————————— वादिनी

बनाम

———————————— प्रतिवादी

मु0नं0 /2020

तारीख दायरा

न्यायशुल्क मु0 500/= 00 रुपये

Civil Suit 1768/2020

Meenakshi

प्रार्थिनी

मीनाक्षी शर्मा - वादिनी

द्वारा एडवोकेट

दिनांक 18/12/20

जो वादिनी और उसके परिवार के निकलने का एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ते के बाद जानिब उत्तर खडन्जा मार्ग के बाद प्रतिवादी का मकान नं0 10 है प्रतिवादी का सेहन जानिब पश्चिम है।

Meenakshi

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

मीनाक्षी शर्मा उम्र लगभग 35 साल पत्नी इन्द्रजीत निवासिनी ग्राम–हरथुआ बभनपुर, पोस्ट–हरथुआ बभनपुर, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर

........................वादिनी

बनाम

मनोज उम्र लगभग 35 साल सुत बनारसी निवासी ग्राम–हरथुआ बभनपुर, पोस्ट–हरथुआ बभनपुर, परगना–अल्देमऊ, तहसील–कादीपुर, जिला–सुलतानपुर

..............प्रतिवादी

सा0वा0सं0– /2020
दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी
दायरा तिथि–

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0ख0 कक्ष सं0 15 महोदय सुलतानपुर
खुर्शीद खाँ.........बनाम.........अब्दुल वाहिद खाँ आदि
सा0वा0सं0– /2020

## दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी

महोदय,

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है–

धारा 1– यह कि अर्जी दावा के साथ संलग्न नक्शा नजरी में दिखायी गयी विवादित आराजी महदूदा हरुफ अ,ब,स,द बरंग सुर्ख जुजो अर्जी दावा वादिनी के मौरूसी मकान नं0 9 की सेहन की भूमि है जिसमें वादिनी जमाना कदीम से निकास पैठार, उठना बैठना, जानवरान बांधना आदि के रूप में इस्तेमाल करती चली आ रही है।

धारा 2– यह कि वादिनी के मकान नं0 9 के सेहन के बाद रास्ता खडन्जा मार्ग है जो वादिनी और उसके परिवार के निकलने का एक मात्र रास्ता है उक्त रास्ते के बाद जानिब उत्तर खडन्जा मार्ग के बाद प्रतिवादी का मकान नं0 10 है प्रतिवादी का सेहन जानिब पश्चिम है।

Meenakshi

धारा 3– यह कि प्रतिवादी का मकान वादिनी के मकान के उत्तर है प्रतिवादी से विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार कब्जा सम्बन्ध नहीं है प्रतिवादी वादिनी के मकान के सेहन दरवाजे पर एक नींव खोदकर दीवाल खड़ी कर देना चाहते है जिन्हें कोई हक नहीं है।

धारा 4– यह कि वादिनी के परिवार के लोग बसिलसिले रोजगार बाहर रहते है वादिनी अपने बीमार ससुर के साथ घर पर अपने बच्चों के साथ रहती है वादिनी को कमजोर असहाय और ससुर के अति वृद्ध और बीमार होने की वजह से प्रतिवादी की नियत खराब हो गयी है और वह वादिनी के सेहन को कब्जा कर लेना चाहते हैं।

धारा 5– यह कि प्रतिवादी दिनांक 07.12.2020 को लेबर मिस्त्री लेकर आये और सेहन में नींव खोदकर सेहन को घेरने लगे तो गांव वालों की मदाखलत से नींव खोदना छोड़कर चले गये किन्तु वादिनी को धमकी दिये कि पुलिस को हमवार करके पुनः उक्त निर्माण कर विवादित आराजी पर कब्जा कर लेगें।

धारा 6– यह कि यदि प्रतिवादी को उक्त बेजा हरकत से मना न किया गया तो वादिनी का सेहन छिक जायेगा। वादिनी का घर से निकलना बन्द हो जायेगा। यदि सेहन छिक जायेगा तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपायी किसी अन्य तरीके से सम्भव नहीं है।

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0ख0 कक्ष सं0 15 महोदय सुल्तानपुर
मीनाक्षी शर्मा......बनाम...... मनोज

धारा 7– यह कि आराजी निजाई को वादिनी ने किसी के पक्ष में विक्रय नहीं किया है।

धारा 8– यह कि विनाय मुखासमत दावा हाजा वयोम देने धमकी उपरोक्त दिनांक 07.12.2020 को अन्दर हद अख्तियार समात अदालत हाजा पैदा है।

धारा 9– यह कि मालियत दावा हाजा विवादित जायदाद की बाजारी कीमत के लिहाज से मु0 6,00,000/–रुपये कायम की जाती है। चूंकि दावा हुकुम इम्तिनाई दवामी का है इसलिए अधिकतम कोर्ट फीस मु0 500/–रुपये अदा की जाती है।

## याचना

वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है–

अ— डिक्री हुकुम इम्तिनाई दवामी बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी को हमेशा हमेश के लिए मना कर दिया जावे कि वादिनी के सेहन मुन्दर्जे नक्शा नजरी बरंग सुर्ख अक्षर अ,ब,स,द जुजो दावा में न कोई नींव खोदे, न नवनिर्माण करे और न दीवाल बनाये न कोई अवरोध उत्पन्न करे न ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे सेहन की भूमि को वादिनी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जा में किसी किस्म की बाधा उत्पन्न हो।

ब— खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादी से दिलायी जावे।

स— अन्य याचना वादिनी को खिलाफ प्रतिवादी जो नजदीक तरीन अदालत मिल सकती हो दिलायी जावे।

<u>सराहत जायदाद निजाई</u>

जायदाद निजाई मुन्दर्जे नक्शा नजरी बंरग सुर्ख महदूदा हरूफ अ,ब,स,द जुजो अर्जी दावा म0नं0—9 स्थित ग्राम—हरथुआ बभनपुर, पोस्ट—हरथुआ बभनपुर, परगना—अल्देमऊ, तहसील—कादीपुर, जिला—सुलतानपुर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज प्र0श्रे0 कक्ष सं0 15 महोदय सुलतानपुर
मीनाक्षी शर्मा.......बनाम........ मनोज
मा0द0सं0— /2020

वादिनी Meenakshi

मीनाक्षी शर्मा पत्नी इन्द्रजीत
निवासिनी ग्राम—हरथुआ बभनपुर,
पोस्ट—हरथुआ बभनपुर,
परगना—अल्देमऊ, तहसील—कादीपुर,
जिला—सुलतानपुर

मैं वादिनी स्वयं तस्दीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 9 व याचना मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य है इसमें न तो कुछ झूठ है और न ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करें।

स्थान तस्दीक : दीवानी परिसर सुलतानपुर
दिनांक :— 8.12.20

Meenakshi

द्वारा
8.12.20
अधिवक्ता

दिनांक :— 8.12.20

न्यायालय सिविल जज (प्र०खं०) कक्ष सं० 18 सुलतानपुर

उक/5

मीनाक्षी शर्मा ———————— वादिनी

बनाम

मनोज ———————————— प्रतिवादी

मू०वा०सं० - 1/2020

दायरा तिथि -

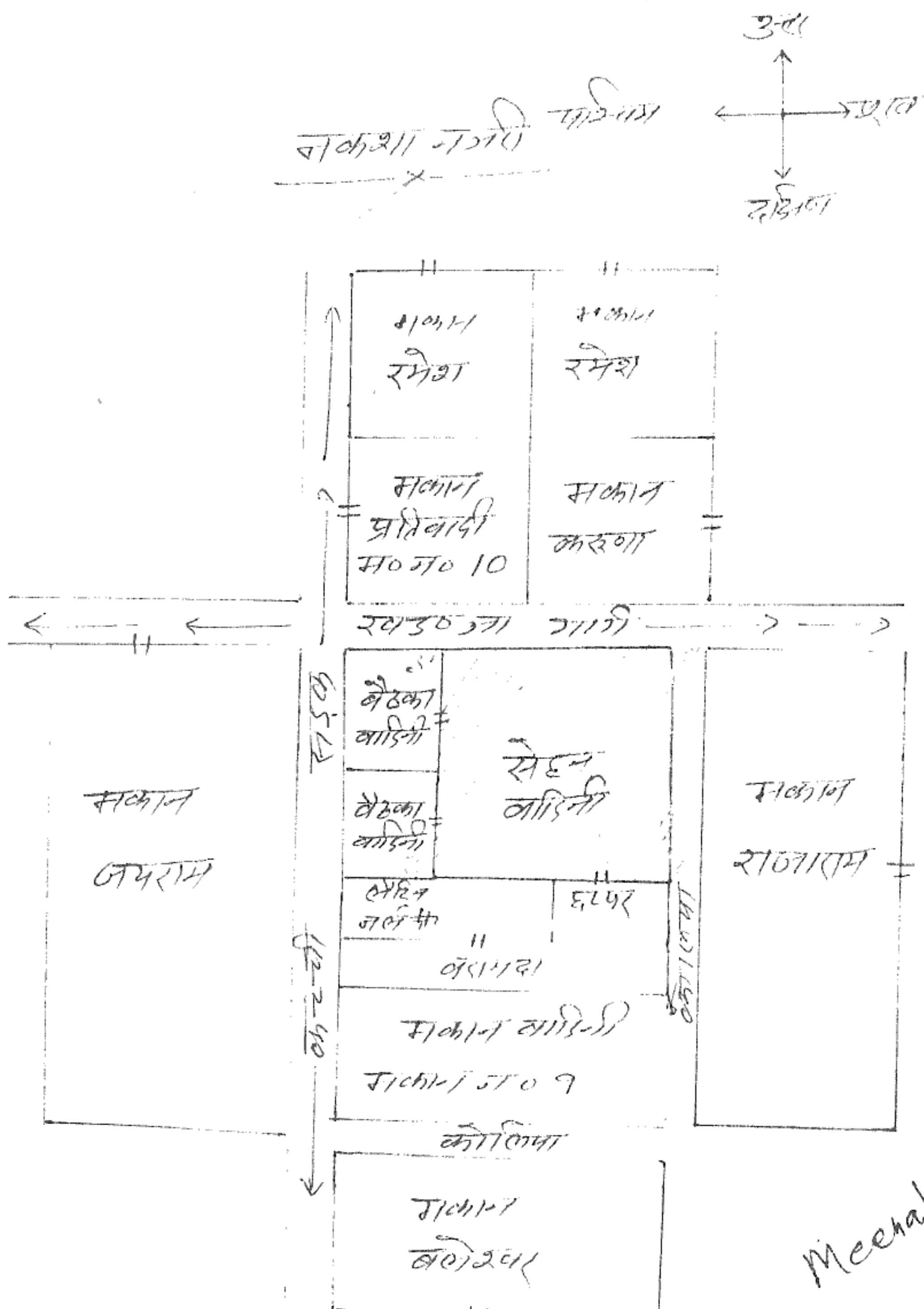


न्यायालय सिविल जज (प्र०खं०) कक्ष सं० 18 सुलतानपुर
मुकदमा मीनाक्षी बनाम मनोज
मू० वा० सं० - 1/2020

Meenakshi

प्रार्थिनी
मीनाक्षी शर्मा वादिनी
द्वारा एडवोकेट
दिनांक - 8.12.20

[signature] 8.12.20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष [illegible]
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या– 1768/20

मीनाक्षी शर्मा बनाम मनोज

दिनांक [illegible]

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ [illegible] अवलोकित । अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश [illegible]

आदेश

मूलवाद के रूप मे पंजीकृत हो । वाद दिनांक 08/1/21 वास्ते बयान तहरीरी एवं दिनांक 16/1/21 को वास्ते [illegible] वादविन्दु पेश हो । विपक्षी को सम्मन जारी हो [illegible]

सिविल जज/प्रवर [illegible]
कक्ष सं0–15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 [illegible] जा0दी0 ।

6ग2 शपथपत्र ।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 [illegible] गया ।

सुलतानपुर।

08-01-21 – [illegible]
[illegible] 16-01-21 [illegible]
[illegible]

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या–15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या–1768/2020
मीनाक्षी शर्मा ------बनाम-----मनोज ।

दिनांक-- 08.12.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद भूमि को नक्शा मानचित्र में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित करते हुए उसे रास्ते की भूमि बताया गया है तथा कथन किया गया है कि प्रतिवादी का वादभूमि से कोई सबंध नहीं है । अपने कथन के समर्थन में वादी द्वारा सूची 9ग1 परिवार रजिस्टर की नकल, व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किया गया है । वादिनी ने विवादित सम्पत्ति को अपने सेहन की सम्पत्ति बताते हुए उससे ही होकर अपना निकास पैठार बताया है । अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादी द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे वाद भूमि दर्शित नक्शा वाद पत्र अक्षर अक्षर अ,ब,स,द पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 08.01.2021 को पेश हो।

08.12.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

**प्रार्थना पत्र 7ग2**

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

08.12.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0–15
सुलतानपुर।

08-01-21 - [illegible]
[illegible] 16-01-21 [illegible]
[illegible]

17/03/21
Meenakshi-वादी
17-3-21

16-01-21 - पुकार पत्रावली उपस्थित। दि० 17-03-21 को वास्ते अ० कि० ... पेश हो।

13/07

17-3-21 - पुकार पत्रावली उपस्थित। दि० 13-7-21 को ... पेश हो।

13-07-21 - अधिवक्तागण कार्य से विरत हैं। दि० - 04-09-21 को वास्ते अ० कि० ... पेश हो।

04/09/21
4-9-21